

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं०:-375 / 2026
सी०एन०आर०नं०-यू०पी०जे०पी० 010042652026

1. प्रशान्त विश्वकर्मा पुत्र प्रेमचन्द्र विश्वकर्मा।
 2. प्रवीण विश्वकर्मा पुत्र प्रेमचन्द्र विश्वकर्मा।
- सा०मौ०-मनबल, थाना-सरायख्वाजा, जिला-जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु०अ०सं०-199 / 2026
धारा-191(2), 191(3), 115(2), 109, 352, 351(3)
बी०एन०एस० एवं धारा-7 क्रि०ला०ए० एक्ट
थाना-लाइनबाजार, जिला जौनपुर।

04.06.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रशान्त विश्वकर्मा व प्रवीण विश्वकर्मा के द्वारा मु०अ०सं०-199 / 2026, धारा-191(2), 191(3), 115(2), 109, 352, 351(3) बी०एन०एस० एवं धारा-7 क्रि०ला०ए० एक्ट, थाना-लाइनबाजार, जिला जौनपुर में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि उ०नि० रामप्रकाश यादव मय हमराहियान के साथ देखभाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म वांछित चौकी क्षेत्र मौजूद था कि सूचना प्राप्त हुई कि आदमपुर अकबरपुर में कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। उक्त सूचना पर विश्वास करके दिनांक 19.05.2026 को समय करीब 10.00 बजे शनि गौतम के घर के सामने पहुंचा तो पाया कि शनि गौतम के घर पर शादी की सालगिराह कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर प्रथम पक्ष के दुर्गेश्वर प्रसाद उर्फ बाबू, जितेन्द्र कुमार, शनि उर्फ राजबहादुर, प्रशान्त विश्वकर्मा, प्रवीण विश्वकर्मा व कुछ अज्ञात तथा द्वितीय पक्ष के अबूशाद, रिजवान, मुफिद, गुड्डू उर्फ मुस्ताक, शाहिल खान, अजीम खान, बाबू भाई व कुछ अज्ञात गाड़ी टकराने के बात को लेकर दूसरे पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। मौके पर उसके द्वारा हमराही पुलिस बल के साथ समझाने बुझाने का प्रयास किया। परन्तु उभय पक्ष नहीं माने। उन लोगों के इस कृत्य से आस पास के लोगों के भय का माहौल कायम हो गया तथा घटना की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त घटना के कारित होने के पूर्व प्रथम पक्ष के दुर्गेश्वर उर्फ बाबू, प्रशान्त विश्वकर्मा, प्रवीण विश्वकर्मा, आदि के द्वारा द्वितीय पक्ष के अबुशाद के मोटर साइकिल में कार से टक्कर मारने के कारण हुये विवाद में जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया गया था, जिससे लोक व्यवस्था व शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया। आस पास के लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे व मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सामान्य लोक शान्ति व्यवस्था पूरी तरह भंग हो गयी। मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उच्चाधिकारीण को सूचित किया गया। दोनों पक्षों के घरों के आस पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाकर शान्ति व्यवस्था कायम की गयी। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण निर्दोष है तथा उन्हें गलत ढंग से अभियुक्तगण बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है और उसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो पक्षों के मध्य विवाद होने की बात वादी मुकदमा द्वारा की गयी है। उस विवाद के दौरान स्वयं को अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचाना कहा गया है, किन्तु किसी भी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी उस दौरान नहीं की गयी है। कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आयी है। पुलिस द्वारा प्रार्थी को रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण को थाना स्थानीय द्वारा गिरफ्तार किये जाने की आशंका है। प्रार्थीगण उचित जमानत मुचलके देने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

उभय पक्ष के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो पक्षों के मध्य मोटर साइकिल से कार में टक्कर लग जाने के कारण प्रथम पक्ष द्वारा विवाद में जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने, दोनों पक्षों द्वारा लोक व्यवस्था व शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न करने, समाज में भय का माहोल व्याप्त करने, सामान्य लोक शान्ति व्यवस्था पूरी तरह भंग करने तथा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। घटनाक्रम की पुष्टि वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित की गयी है और उसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आयी है। पत्रावली पर किसी चोटहिल की कोई आघात आख्या उपलब्ध नहीं है। थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

उक्त आधारों पर एवं मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों के साथ आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

दौरान विवेचना गिरफ्तार किये जाने की दशा में आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रशान्त विश्वकर्मा व प्रवीण विश्वकर्मा के द्वारा मु0अ0सं0-199/2026, धारा-191(2), 191(3), 115(2), 109, 352, 351(3) बी0एन0एस0 एवं धारा-7 क्रि0ला0ए0 एक्ट, थाना-लाइनबाजार, जिला जौनपुर के प्रकरण में, प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा मु0-1,00,000/-का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभूति, सम्बन्धित थानाध्यक्ष की सन्तुष्टि में, दाखिल करने पर तथा निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निर्देश दिया जाता है कि-

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण दौरान विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा तलब करने पर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विवेचना की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साक्षीगण को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।
3. जमानत के दौरान किसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होंगे।
4. आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना जिले से बाहर नहीं जायेंगे।

अधिरोपित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में अग्रिम जमानत स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

दिनांक-04.06.2026
नितिन कुमार/-

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।